IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

पंचायती राज संस्थाओं में महिला नेतृत्व एवं सहभागिता एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

मनीषा[1], डॉ.ममता उपाध्याय[2]

[1]शोध छात्रा , [2]प्रोफेसर

राजनीति विज्ञान विभाग

कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश
संबद्ध , चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ (उ प्र) भारत

शोध सारांश

73वें संविधान संशोधन ,1993 द्वारा देश में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देते हुए उनकी आर्थिक और राजनीतिक सुदृढ़ता को सुनिश्चित करने का पुरजोर प्रयास किया गया। इस अधिनियम का एक मुख्य प्रावधान महिलाओं को पंचायत में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करना है। यह प्रावधान महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा मे मील का एक पत्थर है। परंतु हमारे सामने ऐसी कई उदाहरण प्रस्तुत होते हैं जिसमें महिला प्रधान मात्र रबर स्टैंप के रूप में कार्य करती है, जबकि वास्तविक कार्य तथाकथित सरपंच पति द्वारा किए जाते हैं। इस तरह की खबरों के साथ यह धारणा बन गई है कि पंचायत में महिला आरक्षण की व्यवस्था से इन संस्थाओं मे उनकी संख्या तो बढ़ी है , किन्तु उनकी प्रभावी भूमिका अब भी वांछित है। स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व के सकारात्मक आंकड़ों के मध्य प्रस्तुत शोधपत्र सफल महिला सरपंचों की भूमिका को सम्मुख लाने का उद्देश्य रखता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारत में ऐसी अनेक महिला सरपंच है जो अपने कार्य से देश–विदेश में मिसाल पेश कर रही हैं। उनके नेतृत्व मे ग्रामीण विकास के नए मानदंड स्थापित हो रहे हैं।प्रस्तुत शोध– पत्र वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।शोध पत्र के लेखन के लिए द्वैतीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के मुख्य स्त्रोत पुस्तकें , समाचार पत्र,पत्रिकाएँ , पूर्व मे प्रकाशित शोध पत्र एवं शोध प्रबन्ध इत्यादि हैं।

मुख्य शब्द

महिला सरपंच,पंचायत,विकास, रबर स्टैंड ,सरपंच पति, सहभागिता,महिला नेतृत्व

प्रस्तावना

भारत जैसे संस्कृति और परंपरा प्रधान देश में नारियों का समाज में एक विशेष स्थान रहा है।हमारे देश में महिला को श्रेष्ठ कार्यों में पुरुष की दाहिने हाथ की तरफ बैठने की परंपरा का हम यह अर्थ लगा सकते हैं कि श्रेष्ठ कार्यों में महिलाओं को प्राथमिकता देने विचार रहा होगा। प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति अच्छी रही, लेकिन विदेशी शासन तथा कुछ कुरीतियों के कारण उनके जीवन में नकारात्मक परिवर्तन आए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए ,जिसमें सबसे प्रमुख 73 वे संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती संस्थाओं में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था किया जाना था , जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं की राजनीतिक क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाना है । यह इस अधिनियम का ही सकारात्मक परिणाम है कि आज भारत में कुल पंचायत प्रतिनिधित्व का 46.5: भाग महिला प्रतिनिधियों का है। स्थानीय शासन से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार भारत के 32 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में स्थानीय शासन के कुल प्रतिनिधियों 3,187,320 में से 14,53,973 महिला प्रतिनिधि हैं। ।रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि महिलाएं भारत की संपूर्ण जनसंख्या का आधा हिस्सा है तो उनका पंचायत में प्रतिनिधित्व करना न केवल निष्पक्षता की बात है बल्कि यह देश की उन्नति, दक्षता के लिए भी जरूरी हो जाता है।

141 देशों में कराए गए स्थानीय शासन से संबंधित सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ कि स्थानीय शासन हेतु निर्वाचित कुल सदस्य संख्या का 3 मिलियन (35.5) भाग महिलाओं का है । 50 प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व मात्र तीन देशों में ही पाया गया औतथा 20 देश ऐसे हैं जहां पर महिला प्रतिनिधियों की संख्या 40 प्रतिशत से ज्यादा है। स्पष्ट है कि महिला प्रतिनिधित्व की दृष्टि से भारत की स्थिति अच्छे राष्ट्रों में आती है।2011 में हुए एक सर्वेक्षण से यह ज्ञात होता है कि महिला प्रतिनिधि स्वास्थ्य, शिक्षा महिला संबंधित मुद्दों एवं ,वंचित समुदाय के कल्याण पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है तथा हर सरकारी योजना को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करती है। बिहार राज्य में वर्ष 2021 में हुए एक सर्वेक्षण से हमें यह ज्ञात होता है कि महिला सरपंच द्वारा बाल विवाह ,घरेलू हिंसा जैसी गंभीर समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाता है। सर्वेक्षण में शामिल 40 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह जवाब दिया गया कि वह बाल विवाह को रोकने हेतु कदम उठाती है व 61 प्रतिशत महिलाओं द्वारा यह बताया गया घरेलू हिंसा की शिकायत मिलने पर उनके द्वारा उस पर कार्रवाई की जाती है। 2009 में क्वार्टरली जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स और 2012 में साइंस पत्रिका में प्रकाशित लेखों से यह ज्ञात होता है कि जिन गांवों में महिलायेँ नेतृत्व कर रही है ,वहां के ग्रामवासियों में महिलाओं के प्रति कम पूर्वाग्रह देखने को मिला है।

परिकल्पना –

1. सभी महिला सरपंच रबर स्टैंप नहीं होती आज के भारत में महिला सरपंच अपने रिश्तेदारों के हाथ की कठपुतली न होकर स्वतंत्र रूप से पंचायत का नेतृत्व कर रही है।
2. महिला सरपंचों के नेतृत्व में पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए प्रशंसा योग्य कार्य संपन्न किया जा रहे हैं।
3. भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिला सहभागिता में वृद्धि हुई है।

अनुसंधान क्रियाविधि

प्रस्तुत शोध– पत्र वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है।शोध पत्र के लेखन के लिए द्वैतीयक आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। आंकड़ों के मुख्य स्त्रोत पुस्तकें , समाचार पत्र,पत्रिकाएँ , पूर्व मे प्रकाशित शोध पत्र एवं शोध प्रबन्ध इत्यादि हैं। ।

शोध का औचित्य एवं उद्देश्य

प्रस्तुत शोध में महिला सरपंचों द्वारा किए जा रहे सकारात्मक कार्यों को सम्मुख लाने का उद्देश्य रखता है । शोधपत्र मे उन महिला सरपंचों का वर्णन किया गया है, जो पितृसत्तात्मक समाज और प्रधान पति जैसी धारणाओं को पीछे छोड़ स्वतंत्र रूप से अपना कर्तव्य करते हुए पंचायत के विकास में योगदान दे रही हैं । इन महिलाओं ने न केवल अपने लिए एक अलग पहचान बनाई ,,बल्कि अन्य महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी हैं।आज के समय में ऐसे अध्ययन की और भी अधिक आवश्यकता है जब प्रधान पति जैसी धारणा के कारण महिलाओं को केवल रबर स्टैंप के रूप में ही समझा जा रहा है और महिला राजनीतिक क्षेत्र में अपने दम पर कुछ कार्य नहीं कर सकती ,ऐसी पितृसत्तात्मक सोच से अब तक मुक्ति नहीं मिल सकी है।

महिला नेतृत्व के अंतर्गत ग्रामीण उन्नति

महिला नेतृत्व और सहभागिता से संबंधित अध्ययन करने वाले विशेषज्ञों के पास इस बात के अनेक सबूत है कि महिला नेतृत्व में सामाजिक और आर्थिक उन्नति होती है।महाराष्ट्र में किए गए एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि जहां पर महिला सरपंच होती है वहां पर बुनियादी सुविधाएं अच्छी तरह उपलब्ध होती है। **2010 में 11 राज्यों में सर्वे**क्षण के पश्चात यह तथ्य उजागर हुआ कि जिस क्षेत्र में महिला सरपंच हैं , वहां भ्रष्टाचार में कमी दर्ज की गई है तथा सरकारी नीतियाँ अंतिम पायदान तक हर व्यक्ति तक पहुंचती हैं।. **ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया** के सर्वेक्षण में है पाया गया कि महिला सरपंचों में पुरुष प्रधानों की तुलना में भ्रष्टाचार की समस्या कम पाई जाती है । सर्वेक्षण में 37 प्रतिशत लोगों ने माना कि पुरुष भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं तथा मात्र 5 प्रतिशत लोगों ने माना कि महिलाएं भ्रष्टाचार में लिप्त होती हैं **यू एन ,न्यूज द्वारा 36देशों मे 17,000** लोगों पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 70 प्रतिशत लोगों का यह मत है कि जिस देश में महिला नेतृत्व करती है वहां पर प्रबंधन की स्थिति बेहतर होती है।भारत में 85 प्रतिशत लोगों ने माना कि महिला नेतृत्व में देश उन्नति करता है जबकि अन्य देशों मे 80 प्रतिशत लोग ही इस कथन से सहमत थे। भारत में इसी बात को सत्य साबित करती हुई बहुत सी महिला सरपंच हैं , जिन्होंने अपने नेतृत्व और सहभागिता से अपने पंचायत क्षेत्र का विकास किया है। (7 कुछ प्रमुख उदाहरणों को निम्नांकित रूपों मे देखा जा सकता है ।

1..राम बाई नायक द्वारा गाँव मे दो वॉटर टैंक का निर्माण कराया गया, 33 मजदूरों के परिवारों को रोजगार व उनके बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में सहायता की गई , उसी गाँव मे 18 बुजुर्गों को पेंशन उपलब्ध करवाई गई तथा 48 घरों में शौचालय का निर्माण व 18 परिवारों के लिए गैस कनेक्शन करवाए गए , 121 परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभांतित करवाया।

2.राजस्थान की झुंझुनू जिले के कॉलसिया पंचायत की महिला सरपंच श्रीमती विमला देवी ने पक्की सड़कों का निर्माण कराकर उन्हें बाकी गावो से जोड़ा, पानी की समस्या को भी दूर किया,सामुदायिक चिकित्सालय का भी निर्माण करवाया।उनके द्वारा विधवा पेंशन, उज्ज्वला योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का भी ग्राम वासियों को लाभ दिया गया , महिलाएं के लिए आजीविका की व्यवस्था की , जैसे –रंगाई,कढ़ाई बुनाई ,सिलाई ,पशुपालन आदि कार्य।

3.अनीता सिंह ने छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले की अंबिकापुर ब्लॉक मे ग्रामीण विकास के अनेक कार्य किए जैसे– आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण वासियों को आवास उपलब्ध करवाना,पंचायत के द्वारा 540 शौचालयों व 27 सरकारी हेड पंप की व्यवस्था की गई , वर्षा के पानी के संरक्षण के लिए पंचायत तालाब को और गहरा किया गया है।

4..नीलम सिंह,अलीगढ़ के भरतपुर ग्राम की एक ऐसी महिला हैं , जिन्हें स्वच्छ सुजल सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया । उनके द्वारा घर–घर से कचरा एकत्रित करके ठोस प्रबंधन अपशिष्ट प्रबंधन, जैविक खाद निर्माण में योगदान दिया। प्लास्टिक प्रदूषण से बचाव हेतु एक प्लास्टिक बैंक की स्थापना कराई गई। गंदे पानी के प्रबंध के लिए फिल्टर चेंबर का निर्माण किया गया।

5..महाराष्ट्र के जिले बुरहानपुर में ग्राम पंचायत झीरी, कैटवास की महिला सरपंच द्वारा अपने गहनों को गिरवी रख के गांव से लगे हुए हाईवे पर नाइट विजन हाई क्वालिटी वाले कैमरे व दो सीसीटीवी कैमरे लगवाये गए जिससे गांव में अपराध पर अंकुश लगाने के साथ साथ पुलिस प्रशासन की भी मदद होती है। उनके द्वारा गांव में गोबर गैस प्लांट का निर्माण करवाया, शेष गोवर को जैविक खाद के रूप में उपयोग किया जाता है।

6.जालौर जिले के दंतिया की महिला सरपंच भागवत कवर द्वारा अपने वेतन और जमीन को समाज कल्याण के लिए समर्पित कर दिया गया है । उन्होंने भूमिहीन लोगों के लिए अपनी जमीन दी है तथा अपने वेतन को वृद्ध आश्रम के लिए देती हैं । वे बेसहारा बच्चो का खर्च भी बहन कर रही है और साथ में शहीदों की सहायता भी करती हैं।

7..मरोल गांव की महिला सरपंच उषा कुँवर द्वारा मात्र 3 साल के अंदर अपने पंचायत क्षेत्र में बहुत सारे विकासात्मक कार्य किए गए हैं । जैसे– 100 छायादार और फल देने वाले पौधे लगवाना ,75 स्ट्रीट लाइट्स तथा पीने के पानी की व्यवस्था, श्मशान घाट का निर्माण ,गंदगी और रेत से लिप्त रहने वाले रास्ते पर इंटरलॉकिंग ब्लॉक का निर्माण कराया।

महिला सरपंचों की सक्रियता को प्रभावित करने वाले कारक

आरक्षण के कारण पंचायतों महिला नेतृत्व एवं सहभागिता मे वृद्धि हुई है –

पंचायत में महिलाओं के लिए तिहाई सीटों को आरक्षित करने के पश्चात महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता एवं नेतृत्व क्षमता में वृद्धि देखी गई है । आरक्षण से पूर्व महिला प्रतिनिधित्व मात्र 4.5 प्रतिशत था किंतु वर्तमान समय में यह 46.5 प्रतिशत हो गया है। अगर पंचायती राज व्यवस्था की तरह राज्यसभा ,विधानसभा और संसद में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती तो उनका प्रतिनिधित्व कम नहीं होता। छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले की रिमामा की सरपंच गीता महानंद का कहना है कि यदि पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं होती तो वह आगे नहीं आती। महिला सहभागिता और नेतृत्व में आरक्षण की कितनी भूमिका है इसे हम इन दो तालिका के माध्यम से समझ सकते हैं।

भारत में स्थानीय पंचायत में निर्वाचित महिला प्रतिनिधित्व का प्रतिशत राज्यवार आरक्षण सहित

राज्यों के नाम	**प्रतिशत**	**राज्यों के नाम**	**प्रतिशत**
पंजाब	41.79	गुजरात	49.96
बिहार	52.2	तमिलनाडु	52.98
राजस्थान	51.31	सिक्किम	50.3
8हरियाणा	42.12	छत्तीसगढ़	54.78

राष्ट्रीय संसद में महिला प्रतिनिधित्व की सहभागिता का प्रतिशत आरक्षण रहित

लोकसभा चुनाव वर्ष	**प्रतिशत**	**लोकसभा चुनाव वर्ष**	**प्रतिशत**
1999	9.02	2014	11
2004	8.3	2019	14
2009	10	2024	13.62

शिक्षा के कारण महिला नेतृत्व की प्रभावशीलता मे वृद्धि हुई है –

महिलाओं मे राजनीतिक नेतृत्व क्षमता के विकास एवं निर्णय निर्माण प्रक्रिया मे उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसा देखा गया कि जहां पर महिला साक्षात्कार दर ठीक है वहां महिला सहभागिता भी अच्छी है तथा जहां पर महिला साक्षरता दर कम है ,वहां पर राजनीति में महिला सहभागिता भी कम है।2020 ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक 153 देशों में भारत शिक्षा के क्षेत्र में 112 वे स्थान पर है जिससे यह ज्ञात होता है कि भारत में राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में शिक्षा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।कुछ सफल महिला सरपंचों की शैक्षिक उपाधियों से यह तथ्य और भी अधिक प्रमाणित होता है।

- हॉकी सरपंच नीरू यादव – गणित व शिक्षा में मास्टर, पीएच . डी.
- सुप्रिया दत्त– फार्मेसी में डिप्लोमा
- हेमा कुमारी – आंध्र प्रदेश से इंजीनियरिंग डिग्री, प्रोफेसर
- छवि राजावत– एम. बी. ए.
- आरती देवी– उड़ीसा की पूर्व निवेश बैंकर
- गुलजार सोफिया –अंग्रेजी में मास्टर,
- डॉली भारती– बिहार, एम. बी . ए.
- रितु– बायोटेक्नोलॉजी में स्नातकोत्तर

सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का प्रभाव

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय और पंचायती राज संस्था ने मिलकर 2017 में महिलाओं मे नेतृत्वकुशलता और दक्षता के विकास हेतु प्रशिक्षण की शुरुआत की , जिसका उद्देश्य महिला सरपंचों में व्याख्यानों तथा कार्यशालाओं के आयोजन के माध्यम से उन्हे प्रशिक्षण प्रदान करना है।

2.राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान द्वारा 2018 में कार्य कुशल और दक्ष ग्रामीण प्रशिक्षण के माध्यम से पंचायती राज की क्षमता को बढ़ाने तथा अन्य संसाधनों से लाभान्वित करने हेतु यह अभियान प्रारंभ किया गया। इसके तहत महिलाओं की सहभागिता को भी प्रोत्साहित करने का कार्य किया जा रहा है।

3. मध्य प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा आदेश जारी कर सरपंच पति द्वारा शासकीय गतिविधि में शामिल होने को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर इस आदेश के पश्चात भी किसी सरपंच पति द्वारा ऐसा कार्य किया जाता है तो चुनी गई सरपंच को पद से हटाने का प्रावधान।

सरकार द्वारा सफल महिला सरपंचों को पुरस्कृत किया जाना

भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा महिला सहभागिता और नेतृत्व में वृद्धि करने हेतू करने के लिए पंचायत और महिला सरपंचों को विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है उदाहरण के लिए

- राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार व दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार अवार्ड महिला सरपंच ने नानाजी देशमुख
- स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 उत्तराखंड की दो महिला सरपंच कविता देवी और निकिताचौहान, नीलम सिंह
- महिला सशक्तिकरण टेपना की सरपंच सुनमीत,
- अंतर्राष्ट्रीय महिला सांसद पुरस्कार लावण्या
- स्वच्छ शक्ति ,उच्च शिक्षा बोर्ड पंचायती राज अवार्ड सरपंच सुमन

आर्थिक आत्मनिर्भरता –

आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी महिला सरपंचों की सहभागिता और को प्रभावित करता है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने से महिला सरपंचों आत्मविश्वास,सुरक्षित व सम्मानित महसूस करती है। इसका प्रभाव न केवल महिलाओं पर बल्कि परिवार, समाज , देश पर भी बड़े स्तर पर प्रभाव पड़ता है। एक आत्मनिर्भर महिला सरपंच जितनी स्वतंत्रता से समाज और परिवार के सामने अपनी बातें और विचार रखती हैं, शायद उतना आत्मविश्वास साधारण महिला में नहीं होता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना महिला सरपंचों को मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से सशक्त करता है।

महिला नेतृत्व और सहभागिता के मार्ग की प्रमुख चुनौतियाँ –

स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व एवं प्रतिनिधित्व मे वृद्धि होने के बावजूद उनके राह की चुनौतियाँ अभी मौजूद हैं। कुछ प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख इस प्रकार किया जा सकता है ।

1.**सरपंच पति**

एक ऐसी व्यवस्था जहां पर महिलाएं नाम मात्र की प्रधान होती है और कामकाज उसके रिश्तेदार द्वारा देखा जाता है । गुना जिले के जिला पंचायत सीईओ नियाज खान(2017 अक्टूबर) ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमे बताया गया कि जिले में 425 पंचायतें हैं, जिनमें से 235 पंचायतों का कार्यभार सरपंच पति द्वारा देखा जाता है । उनके द्वारा कार्यभार देखने के साथ हस्ताक्षर और सरकारी गतिविधियों में भी प्रतिभाग किया जाता है।।2022 में मध्य प्रदेश के दमहो जिले की महिला सरपंच के शपथ समारोह मे शपथ उनके पति द्वारा ली गई।

2. **जातिगत समाज**

महिलाओं को महिला होने के नाते तो समस्या होती ही है , किंतु पिछड़ी जाति से होने के कारण उन्हें दोहरी समस्या का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर डोंगरिया पंचायत की दलित पंच उर्मिला बाई जिन्होंने मजदूरों के हित के लिए आवाज उठाई तो उनके साथ दो बार बलात्कार किया गया और फिर बाद में गांव से निकाल दिया गया । उनके द्वारा 3 वर्षों तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी गई ,परंतु अंत में उन्होंने हार कर कलेक्टर कार्यालय के आगे आत्महत्या कर ली।

3. **पंचायतों के कार्य में निपुणता का अभाव**

सोसायटी फॉर पार्टिसिपेटरी रिसर्च इन एशियाश द्वारा पंचायतों से संबंधित आंकड़े संकलित किए गए, जिसमें पाया गया कि पंचायतों में महिला प्रतिनिधित्व अधिकतम 20 से 40 आयु के मध्य होती है ,जिनमें 90:चयनित महिला प्रतिनिधियों को पहले से कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं होता ,जिसके कारण पुरुषों द्वारा उनके पद पर नियंत्रण कर लिया जाता है।

4. **पितृसत्तात्मक धारणा**

आरक्षण के कारण पुरुष वर्ग मजबूरी में सत्ता छोड़ने के लिए विवश होते हैं परंतु अप्रत्यक्ष रूप से वह सत्ता पर आधिपत्य बनाए रखने हेतु हमेशा तत्पर रहते हैं।उनका यह माना है की महिलाएँ राजनीतिक जीवन मे कार्य नहीं कर सकतीं, उदाहरण के तौर पर बानगी भोपाल, खुरईक्षेत्र क्षेत्र की महिला सरपंच ने बताया कि उनके पति उनसे कहते हैं कि सरपंच बनने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा काम तो बस घर– बार को देखना है, तुम रोटी बनाओ रही बात पंचायत की तो उसे देखने के लिए हम है ना।

निष्कर्ष एवं सुझाव –

- आज महिलाएं पंचायतों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही हैं, तो यह भी आवश्यक है कि इस बदलते हुए परिदृश्य में पुरुषों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वह महिलाओं के प्रति सम्मानपूर्ण एवं संवेदनशील व्यवहार कर सकें ।
- महिला सरपंचों द्वारा अपने कार्य को कुशलतापूर्वक ढंग से करने हेतु उन्हें प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि वह सुविधाओं का लाभ अर्जित कर सके।
- महिला सरपंच द्वारा प्रशिक्षण में प्रतिभाग नही कर पाती क्योंकि उनका घर प्रशिक्षण केंद्र से दूर रहता है, अत प्रशिक्षण केंद्र ऐसे स्थान पर आयोजित किए जानी चाहिए जिसमें वह सरलता से प्रतिभागी कर सके।
- महिला सरपंचों के मानदेय मे वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वे अपनी आर्थिक जरूरतों के प्रति निश्चिंत रहते हुए पंचायतों के कार्य पूर्ण मनोयोग से कर सकें।
- शिक्षा के माध्यम से महिलाओं मे और अधिक आत्मविश्वास विकसित किए जाने की आवश्यकता है ।
- स्थानीय प्रशासन का पृथक कैडर विकसित करने के साथ उसमे भी महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित किया जाना चाहिए ताकि महिला सरपंच एवं महिला सचिव बेहतर तालमेल के साथ कार्य कर सकें । पुरुष सचिव एवं महिला प्रधान होने से ग्रामीण समाज मे कई बार उनके मध्य तालमेल की समस्या उत्पन्न होती है।
- पितृसत्तात्मक ग्रामीण समाज मे महिलाओं को घर से निकालकर सार्वजनिक जीवन मे दायित्व सौंपना स्वयं मे एक बड़ी समस्या है ,अतः स्वयं सहायता समूहों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को पंचायत बैठकों मे भाग लेने तथा समस्याएं ध्प्रश्न उठाने की आदत विकसित की जानी चाहिए।
- पंचायती राज संस्था में महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु मुख्य कार्य लोगों की महिलाओं के प्रति सोच में परिवर्तन लाना है जो शिक्षा द्वारा ही संभव है।
- महिला सरपंचों हेतु हिंसमुक्त वातावरण निर्मित करना अत्यंत आवश्यक है । साथ ही उनके लिए पृथक शिकायत निवारण तंत्र भी विकसित किया जा सकता है , ताकि वे हताश के वातावरण मे आत्महत्या करने को मजबूर न हों।

संदर्भ सूची –

1 athar ujmi, Panchayat star per Aarakshan ne mahilaon ko kis tarah se sashakt banaya hai, 24 Sept 2023 &ThePrint Hindi]https://hindi-theprint-in

2- Dabas, Maninder, 8 Women Sarpanch Who Are Leading by EÛamples And Turning The Fortunes Of Indian Villages , India Times , August 22 , 2023 , https://www-indiatimes-com/news/india/

3-deshbendhu panchayati Raj mein mahila netrutva ki chunautiyan , solar January 2010, Deshbandhu , https://www-deshbandhu-co-in

4 -Dalal , Rajveer Singh , Haryana Pradesh mein panchayati Raj sansthaon ke madhyam se mahila sashaktikaran hetu prayason ki Samiksha lok Prakashan , Khand 14 January, June 2012-

5-Centre for Catalyzing Change] ÞSakshamaa Briefing Paper & Women Political Leaders in Rural Bihar: Striving for Change Amidst Socio& Cultural Restrictions]ß C3 India] 2021] https://www-c3india

6- Chaudhary doctor Manju] mahila sashaktikaran aur panchayati Raj, international journal of advanced academic study , 2020

7 Facts and figures: Women*s leadership and political participation ,12 June 2024, UN Women https://www-unwomen-org facts&a…

8- hattacharya abhik , ADifferent Gaze: How Women&Led Panchayats In Rajasthan Bring3 Oct 2023, Outlook India https://www-outlookindia-com › h…

9-Kumar, Arvind , sarpanch pati shasakiy karyon mein nahin le sakenge bahar bhag rajkiy Sarkar ka aadesh , 18 August 2022, Amar Ujala https://www-amarujala-com> mad…

10 Kumar , Santosh , panchayati Raj mein mahila sakthikaran, international journal of political science and governance] 2019

11- —Kumar, Dr Satish Singh parvinderjit, panchayati Raj sansthaon mein mahilaon ki sahbhagita , international journal of research in social sc, ience January 2019

12- KUMAR SUNAINA , GHOSH AMBAR KUMAR , ^Bharat me panchayati sansthaon mein nirvachit mahila pratinidhitv prabhav aur chunauti , observer research foundation Mar 02 , 2024

13-Lori Beaman , Esther Duflo , Rohini Pande and Petia Topalova "Political Reservation and Substantive Representation: Evidence from Indian Village Councils , India Policy Forum 2010&11 , Harvard University https://projects-iq-harvard-edu>

14 mahila sashaktikaran ki misal Bani sarpanch Ram Bhai Nayak ,6 Mar 2023 & Krishak Jagat www-krishakjagat-org

15- Panchayaton me pratinidhitv, 23 sep2020 &Press Information Bureau https://pib-gov-in > Press Releaselfra…

16 Ramawat, Dharmendra Kumar , dantiya gaon Panchayat ki mahila sarpanch ka samajik sarokar, 8, Mar 2019 &Patrika News https://www-patrika-com> dantiya

17 Rathore, Bhawani Singh , mahila sarpanch ke Vikas ki kahani mahila sarpanch uma Kuwar ne 3 varsh mein main Badli marol………11 January 2023 , Namaskaar Nation https://namaskaarnation-com> story…

18 Rani, Dr Seema , shodh manthan ,gram panchayaton mein mahilaon ki bhumika, 2018 ISSN: 0976&5255

19- Sanchari , Women on Top: These 10 Female Sarpanches Are Leading a Quiet Revolution in India*s Villages 7 , 7, 2017 &The Better India]https://www-thebetterindia-com

20- - Shiksha aur rajniti mein mahilaon ki bhagidari ke bich ki kadi, 30july2023, orfonline-org https://www-orfonline-org > hindi

21- Sohanlal- INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS, panchayatonmein nirvachit mahilaon ke samksh chunautiyan avam samadhan